



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

(Government of India, Ministry of Power)



3 नवंबर 2021

एसएंडएल कार्यक्रम के तहत पंजीकृत सभी विनिर्माताओं/ परमिटधारकों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

बीईई के लिए एसएंडएल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विनिर्माताओं/ परमिटधारकों, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क जमा नहीं किया है, उन्हें निम्नलिखित सूचित किया जाता है:

1. चूक करने वाले विनिर्माताओं/ परमिटधारकों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क को प्रतिवर्ष दस प्रतिशत (10%) ब्याज के साथ जमा करने के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया गया है और यह 2 दिसंबर 2021 तक खुला रहेगा।
2. उपर्युक्त वित्तीय वर्षों के लिए उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क जमा करने में विफल रहने वाले विनिर्माताओं/ परमिटधारकों का पोर्टल निलंबित कर दिया जाएगा और लेबलिंग प्रमाणपत्र/ अनुमति उनकी सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने के साथ रद्द कर दी जाएगी।
3. यदि ऐसे विनिर्माता फिर से पंजीकरण करना चाहते हैं, तो उन्हें नया लेबल लेने का अनुरोध करते हुए (सुरक्षा जमा राशि सहित) अनुमति प्राप्त करनी होगी और वित्त वर्ष 2020-21 का उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क प्रतिवर्ष 10% ब्याज के साथ जमा करना होगा।

तदनुसार, सभी विनिर्माताओं/ परमिटधारकों से अनुरोध है कि वे अपना उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क निर्धारित समय के भीतर जमा करें।

इसे महानिदेशक, बीईई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

का. श.स.
3/11/21

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएँ Save Energy for Benefit of Self and Nation

चौथा तल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110 066, वेबसाइट/Website : www.beeindia.gov.in

4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066 टेली/Tel. : 91 (11) 26766700, फैक्स/Fax : 91 (11) 26178352



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

(Government of India, Ministry of Power)



3 November 2021

Important Instructions to all manufacturers/permittees registered under S&L program

All manufacturers/permittees under S&L program for BEE who have not submitted Production data and Labeling fees for FY 2020-21 are informed the following:

1. The portal to submit production data and labelling fees of FY 2020-21 with **ten percent (10%) interest per annum** for defaulting manufacturers/permittees has been activated and will remain open till **2nd December 2021**.
2. Manufacturers/permittees who still fail to comply in submitting the production data and labeling fees for the above-mentioned Financial Years will have their portal suspended & labeling certificate/permission will be cancelled with forfeiture of their security deposit.
3. In case such manufacturers wish to register again, they would need to submit fresh labeling permission request (including security deposit) and also submit the production data and labelling fees of FY 2020-21 with 10% interest per annum.

Accordingly, all manufacturers/permittees are requested to submit their production data and labeling fees within the stipulated time.

This issues with the approval of DG, BEE.


3/11/21